फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

57 सन् 2012 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र

भीमा वगैरह बनाम सवैटा वगैरह

आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
[illegible] है। उक्त भूमि से संबंधित वाद न्यायालय [illegible] न्यायाधीन है। जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित प्रतिलक्षित होती है। अतः [illegible] का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] के पक्ष में विरुद्ध विपक्षी के [illegible] निस्तारण तक उक्त भूमि पर [illegible] की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की [illegible] है कि मेंड़ व रेमाई की यथास्थिति बनाई [illegible] जावे। फसल शुमार होकर नष्ट [illegible] होने तक खुले न्यायालय में सुनाया [illegible] मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द